भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 238
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन क्षमता का विस्तार

238. श्री पी. सी. मोहनः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री महेश कश्यपः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना और उसके अनुरूप कच्चे माल की आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्क्रैप पुनर्चक्रण को अधिकतम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए इस्पात उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देने की पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआईएंडएसपी) का कार्यान्वयन करना।
ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
iii. केन्द्रीय बजट में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर जोर दिया जाना, जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हो सके।
iv. इनपुट लागतों को कम करने के लिए फैरो निकल और फेरस स्क्रैप आयातों पर मूलभूत सीमा शुल्क में अंशाकन (कैलिब्रेशन) करना।

जारी.....2/-

v. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

vi. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करना, जिससे घरेलू बाजार के साथ-साथ आयात में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके।

(ख) सरकार द्वारा स्क्रैप पुनर्चक्रण को अधिकतम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए इस्पात उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलें निम्नानुसार हैं:

i. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से सृजित फैरस स्क्रैप के पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय रूपरेखा प्रदान करती है।

ii. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन की प्रणाली शामिल है। नीति के तहत, एमओआरटीएच ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरणीय विनियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की पुनःप्राप्ति के लिए प्रयोग की अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के प्रदूषण को कम करने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता है।

iii. भारत सरकार ने पर्यावरणानुकूल तरीके से खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित रख-रखाव, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, शोधन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम 2016 अधिसूचित किया है।

iv. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) नियम, 2025 लागू किया है, जो पर्यावरणानुकूल तरीके से प्रयोग की अवधि समाप्त वाहन (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है जिसके तहत वाहन उत्पादकों की वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्री के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

v. पोतों के सुरक्षित और पर्यावरणानुकूल तरीके से पुनर्चक्रण को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया है।

*****